>

Title: Need to confer non-combatant status to certain categories of employees in Air Force as is being done in Army & Navy.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं।

आजादी के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं में नॉन-कॉम्बेटेंट एनरोल्ड श्रेणी थी। इस श्रेणी में रसोइया, मोची, धोबी आदि आते थे। धीरे-धीरे थल सेना में और नेवी में इस नॉन-कॉम्बेटेंट एनरोल्ड श्रेणी के लोगों को सिपाही का दर्जा दे दिया गया और उन्हें मिलिट्री सर्विस पे दो हजार रुपए दे दिया गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीन अंग हैं। यह दुख की बात है कि भारतीय सेना के दो अंग आर्मी और नेवी में तो इसे लागू कर दिया गया, लेकिन वायु सेना में आज तक 12 हजार नॉन-कॉम्बेटेंट एनरोल्ड लोगों को सिपाही का दर्जा नहीं दिया है और मिलिट्री सर्विस पे नहीं देते हैं। एक ही देश की सशस्त्र सेनाओं के दो अंगों को एक सुविधा दी जा रही है और एक अंग को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। वायु सेना में केवल 12 हजार लोग हैं। इस कारण वायु सेना के अंदर लोगों में जबरदस्त रोष है। लोगों की जुबान भले ही चुप है, लेकिन मन में जो गुबार है, उसे ध्यान में रखना चाहिए और वायु सेना में भी लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाए।

सभापति महोदय :

श्री अर्जुन मेघवाल,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री दिलीप गांधी और

श्री ए.टी. नाना पाटील अपने आपको श्री हर्ष वर्धन द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।